VAID'S ICS LUCKNOW

IAS/PCS/PCS(J)

Estd :1988

डेली करेंट अफेयर्स जून–2019

(14th June)

Topic: For prelims and mains:

WHY LAKHS ARE PROTESTING ON THE STREETS IN HONG KONG :

समाचार में क्यों? वर्तमान में ***हॉन्ग कॉन्ग में एक व्यापक आन्दोलन छिड़ा हुआ है।*** आन्दोलनकर्ता चीन में एक कानून में परिवर्तन के विरुद्ध ***रैलियाँ निकाल रहे हैं। संशोधित नियमों के अनुसार जिस व्यक्ति पर हत्या एवं बलात्कार का आरोप होगा उसको मुकदमे के लिए चीन भेज दिया जाएगा।*** एक बार यह कानून लागू हो गया तो बाद में इसे मकाऊ पर भी चीन लागू करना चाहेगा क्योंकि ह***ॉन्ग कॉन्ग की भाँति मकाऊ भी चीन*** का विशेष स्वायत्तर्ण प्रशासनिक क्षेत्र माना जाता है।

चीन की प्रतिक्रिया :

- चीनी सरकार का कहना है कि वर्तमान कानून में कुछ ऐसे छिद्र हैं जिनके कारण ***अपराधी हॉन्ग कॉन्ग शहर का लाभ उठाने में सम्र्थ हो जाते हैं।*** चीन का कहना है कि ऐसे छिद्र को बंद करना आवश्यक है। उसने यह आश्वासन भी दिया है कि देश निकाला कर चीन भेजने के बारे में अंतिम निर्णय हॉन्ग कॉन्ग के न्यायालय ही लेंगे।
- इस प्रकार के देश निकला विशेष श्रेणी के आरोपितों पर ही लागू होगा अर्थात् ***राजनीतिक और धार्मिक अपराधों के आरोपित व्यक्तियों को मुकदमे के लिए चीन नहीं भेजा जाएगा।***

आन्दोलनकारियों की चिंता :

- आन्दोलनकारियों को डर है कि कानून में ***इस परिवर्तन का लाभ उठाकर चीन हॉन्ग कॉन्ग में रहने वाले राजनैतिक विरोधियों को परेशान करेगा।*** उनका विचार है कि जिन आरोपित व्यक्तियों को ले जाया जाएगा उनको यातना दी जायेगी। ***उनका एक तर्क यह भी कि हॉन्ग कॉन्ग की स्वायत्तता*** पहले से डगमग चल रही है, अतः इस संशोधन से वह और भी कमजोर हो जायेगी।

हॉन्ग कॉन्ग और चीन में क्या रिश्ता है:

- हॉन्ग कॉन्ग पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था. ब्रिटेन ने उसे चीन से 99 वर्ष की लीज पर लिया था. यह लीज 1997 में पूरी हो गयी तो ब्रिटेन ने इसे चीन को लौटा दिया. परन्तु "एक देश दो प्रणालियाँ" इस सिद्धांत के अंतर्गत हॉन्ग कॉन्ग को अर्ध–स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया।
- फलतः हॉन्ग कॉन्ग के पास अपने कानून और अपने न्यायालय हैं. इसके अतिरिक्त यहाँ के निवासियों को कई प्रकार की नागरिक स्वतंत्रता मिली हुई है. हॉन्ग कॉन्ग और चीन के बीच प्रत्यर्पण से सम्बंधित कोई समझौता नहीं हैं।

****

Topic: For prelims and mains:

विदेशी (प्राधिकरण) आदेश, 1964 :

समाचार में क्यों? भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों विदेशी (प्राधिकरण) आदेश, 1964 में कतिपय संशोधन किये हैं।

ये संशोधन क्या है:

- नया संशोधन सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों के जिला दंडाधिकारियों को यह शक्ति देता है कि वे प्राधिकरण गठित कर ये निर्णय लें कि भारत में अवैध ढंग से रहने वाला कोई व्यक्ति विदेशी है अथवा नहीं।
- संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया है कि चाहे तो कोई व्यक्ति अपना पक्ष लेकर प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हो सकता है।
- संशोधित आदेश में जिला दंडाधिकारियों को यह शक्ति दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी से उसके बाहर निकाले जाने के विरुद्ध कोई दावा प्रस्तुत नहीं भी किया हो तो भी वे प्राधिकरण के पास उसका मामला यह निर्धारित करने के लिए भेज सकते हैं कि वह विदेशी है अथवा नहीं।

वर्तमान चलन :

- इस विषय में वर्तमान में जो भी कार्रवाई हो रही है वह ***1964 के विदेशी (प्राधिकरण)*** आदेश के अनुसार हो रही है।
- 1964 के आदेश में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि केंद्र सरकार आदेश निकाल कर विदेशी प्राधिकरण को ऐसे मामले निर्णय हेतु भेज सकती है जिनमें यह प्रश्न हो कि ***अमुक व्यक्ति विदेशी अधिनियम, 1946 (1946 का 31)*** के परिभाषा के अंतर्गत विदेशी है अथवा नहीं।
- नए संशोधन का निहितार्थ यह है कि अब राज्य सरकारें भी अपने–अपने विदेशी प्राधिकरणों का गठन कर सकेंगी।

****

Topic: For prelims and mains:

RBI के ऋण समाधान मानक :

समाचार में क्यों? भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में गैर–निष्पादित संपत्ति अथवा (Non Performing Assets- NPA) से निपटने के लिये एक नया मानक जारी किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- संकल्प योजनाएँ जैसे– ***कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन योजना, रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना, स्वामित्व में परिवर्तन, तनावग्रस्त संपत्तियों की स्थायी संरचना,*** संयुक्त ऋणदाता मंच और मौजूदा ***दीर्घकालिक ऋणों की लचीली संरचना आदि*** को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वापस ले लिया गया है और इनके स्थान पर संशोधित मापदंड जारी किये गये हैं।
- ये नए मानदंड बैंकों के अलावा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, लघु वित्त बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों पर भी लागू होंगे।

संशोधित मानदंड :

- संशोधित मानदंडों के अनुसार, ऋणदाताओं को संकल्प रणनीति का ढाँचा तैयार करने के लिये ***30 दिनों की समीक्षा अवधि दी जाएगी***, इसके विपरीत पुराने मानदंड ऋणदाताओं को डिफाल्टर के संदर्भ में संकल्प रणनीति तैयार करने के लिये मजबूर करते थे ***चाहे डिफॉल्ट एक दिन पुराना ही क्यों न हो।***
- किसी भी संपत्ति के डिफॉल्ट होने पर ऋणदाताओं को उस ऋण खाते से होने वाले प्रभाव की पहचान उसे कुछ ***विशेष उल्लेख खातों*** **(Special Mention Accounts - SMA)** में वर्गीकृत करके करनी होगी:

1. SMA-0: यदि कोई ***व्यक्ति/कंपनी 0–30 दिनों*** के भीतर लिये हुए ऋण के मूलधन या ब्याज को चुकाने में विफल रहता है तो उसे SMA–0 में वर्गीकृत किया जाएगा और इस श्रेणी के डिफॉल्टर पर दिवालिया संकल्प लागू किया जा सकता है।
2. SMA –***1:*** यदि कोई ***व्यक्ति/कंपनी 31–60 दिनों*** के भीतर लिये हुए ऋण के मूलधन या ब्याज को चुकाने में विफल रहता है तो उसे **SMA–*1 में वर्गीकृत किया जाएगा*** और इस श्रेणी में डिफॉल्टर पर Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) के तहत कार्यवाही की जाएगी।
3. SMA –***3:*** यदि कोई व्यक्तिध्कंपनी 31–60 दिनों के भीतर लिये हुए ऋण के मूलधन या ब्याज को चुकाने में विफल रहता है तो ***उसे* SMA–*3 में वर्गीकृत किया जाएगा*** और इस श्रेणी में ***डिफॉल्टर के विरुद्ध नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल*** **(National Company Law Tribunal-NCLT*)*** में मुकदमा चलाया जाएगा।

- नए मापदंडों के अनुसार किसी भी संपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन, जिसकी कुल जोखिम मात्रा 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, के लिये रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (Credit **Rating Agencies-CRAs) ls Lora= *क्रेडिट मूल्यांकन* (Independent Credit Evaluation-ICE**) करवाना आवश्यक होगा।

1. ऐसे ऋण खाते जिनकी कुल जोखिम ***मात्रा 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, को नए मापदंडों के अनुसार ऐसे 2 स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन (*independent credit evaluation- ICE*)*** करने अनिवार्य हैं।

- ऋणदाताओं को ***5 करोड़ रुपए*** से अधिक कुल जोखिम वाले उधारकर्त्ताओं के ***डिफॉल्टर होने*** की स्थिति में रिजर्व बैंक को हर हफ्ते एक साप्ताहिक रिपोर्ट देनी होगी।
- ***दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही में देरी होने के कारण अतिरिक्त प्रावधान के रूप में दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था:***

1. इस संदर्भ में अतिरिक्त प्रावधान बैंकों द्वारा बचे हुए ऋण के अनुपात में बनाए जाएंगे।
2. यदि समीक्षा अवधि की समाप्ति के ***180*** दिनों के भीतर संकल्प पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता है तो बैंकों को इसके लिये कुल ***20*** प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान बनाने होंगे।
3. यदि समीक्षा अवधि की समाप्ति के ***365*** दिनों के भीतर भी संकल्प पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता है तो बैंकों को इसके लिये कुल अतिरिक्त ***15*** प्रतिशत प्रावधान (जिसका कुल योग ***35*** प्रतिशत होगा) बनाने होंगे।

- यदि ऋणदाताओं द्वारा किसी उधारकर्त्ता के ऋण खातों की वास्तविक स्थिति को छुपाने के उद्देश्य से कुछ कार्यवाही की जाती है तो यह कार्यवाही उच्चतर प्रावधान के निर्माण तथा ऋणदाता पर मौद्रिक दंड की उत्तरदायी होगी।
- ऋणदाताओं को संकल्प परियोजना लागू करने के लिये समीक्षा अवधि के दौरान ***एक आंतरिक लेनदार समझौते (inter creditor agreement- ICA)*** पर हस्ताक्षर करने होंगे, जो संकल्प परियोजना के अंतिम रूप और कार्यान्वयन के लिये नियम बनाएगा।

क्रेडिट रेटिंग (Credit Rating)

क्रेडिट रेटिंग किसी भी देश, संस्था या व्यक्ति की ऋण लेने या उसे चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को एएए, बीबीबी, सीए, सीसीसी, सी, डी श्रेणियों में रेटिंग दी जाती है। इन श्रेणियों के निहितार्थ हैं:

- ***एएए:*** सबसे मजबूत सबसे बेहतर।
- ***एए:*** वादों को पूरा करने में सक्षम।
- ***ए:*** वादों को पूरा करने की क्षमता, पर विपरीत परिस्थितियों का पड़ सकता है असर।
- ***बी बी बी :*** वादों को पूरा करने की क्षमता, लेकिन विपरीत परिस्थितियों से आर्थिक स्थितियाँ प्रभावित होने की संभावना अधिक।
- ***सीसी:*** वर्तमान में बहुत कमजोर।
- ***डी:*** ऋण लौटाने में असफल।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ (Credit Rating Agencies- CRAs)

- ऐसी स्वतंत्र कंपनियाँ जो देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिये क्रेडिट रेटिंग जारी करें, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ कहलाती हैं। जैसे– फिच, मूडीज और एस एंड पी इत्यादि।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (National Company Law Tribunal - NCLT)

- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 18 के तहत किया गया था।
- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) एक अर्द्ध–न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय देती है।
- NCLT में कुल ग्यारह बेंच हैं जिसमें नई दिल्ली में दो (एक प्रमुख) तथा अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलूरू, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में एक–एक है।

****

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

❖ ***अरुणाचल प्रदेश में सुनहरी बिल्ली की नई प्रजातियाँ***

- हाल ही में ***जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन* (Zoological Society of London- ZSL), ICC (International Conservation Charity) *और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन* (University College London-UCL)** के भारतीय वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी (Dibang Valley) में ***गोल्डन कैट/सुनहरी बिल्ली के छह रंगों*** की खोज की है।

एशियाई गोल्डन कैट .

- एशियाई गोल्डन कैट/सुनहरी बिल्ली का वैज्ञानिक नाम ***कैटोपुमा टेम्मिनकी* (Catopuma Ttemminckii) है।**
- इसे IUCN रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त (Near Threatened) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह बिल्ली ***उत्तर– पूर्वी भारत, इंडोनेशिया तथा पूर्वी नेपाल में पाई जाती है।***

****

ICS
LUCKNOW
IAS/PCS/PCS(J)